रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 1974/ज्येष्ठ 30, 1896
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 1974/JYAISTHA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June 1974

S.O. 371(E).—In partial modification of its notification No. 508/73(BR), dated 13th February 1973, and in pursuance of the provisions contained in Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission in consultation with the Government of Bihar, hereby directs that the District Election Officers mentioned in column 1 of the Table below shall exercise jurisdiction over areas comprised within the assembly constituency(s) mentioned in column 2 thereof:—

TABLE

1	2
District Election Officer, Rohtas at Sasaram.	219-Ramgarh
District Election Officer, Giridih.	265-Bagodar 273-Jaridih.

[No. 508/73(BR)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 14 जून, 1974

एस० ओ० 371 (**अ**).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क्क के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 508/73 (बिहार), तारीख 13 फरवरी, 1973 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित जिला निर्वाचन आफिसर, उस सारणी के स्तम्भ 2 में वर्णित सभा निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट क्षेत्रों पर अधिकारिता का प्रयोग करेंगे :—

सारणी

1	2
जिला निर्वाचन आफिसर, रोहतास सासाराम	219—रामगढ़
जिला निर्वाचन आफिसर, गिरीडीह	26—बगोदर
	273—जरीडीह

[सं० 508/73 (बिहार)]

आदेश से,

ए० एन० सैन सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974